जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना नजीबाबाद   दिनांक 18.10.2024

थाना नजीबाबाद पुलिस ने अभियुक्त को चोरी की गई नगदी व अन्य सामान सहित किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 17.10.2024 को वादी शिवकुमार पुत्र मनोज निवासी गढवाला थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर ने थाना नजीबाबाद पर तहरीर दी कि अज्ञात चोर द्वारा वादी की दुकान की गल्ले से नगदी, सिगरेट की डिब्बी व गुटखे के पाउच आदि चोरी कर लिये गए । तहरीर के आधार पर थाना नजीबाबाद पर मु0अ0सं0 517/24 धारा 305 बीएनएस पंजीकृत किया गया ।

अभियोग की विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियुक्त रचित पुत्र अमर सिंह नि0 छजीपुर थाना नुरपुर जनपद बिजनौर का नाम प्रकाश मे आया ।

कार्यवाही –

थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग मे वांछित अभियुक्त रचित पुत्र अमर सिंह नि0 छजीपुर थाना नुरपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से चोरी की गई 4339/- रूपये की नगदी, सिगरेट की 03 डिब्बी, चोरी के 02 मोबाइल फोन (वनप्लस व सैमसंग कम्पनी के) तथा 01 छैनी व 01 बिसौली (राजमिस्त्री द्वारा उपयोग किये जाने वाले उपकरण) बरामद हुए । बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गई । अभियोग मे धारा 305 बीएनएस का लोप कर धारा 305(क) की वृद्धि की गई । आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है ।

नोट- अभियुक्त से की गई पूछताछ पर यह तथ्य प्रकाश मे आये कि उससे बरामद हुए 02 मोबाइल फोन को उसने नजीबाबाद – हरिद्वार के बीच ट्रेन मे सफर कर रहे यात्रियों से चुराया था । इसके अतिरिक्त अभियुक्त से बरामद छैनी व बिसौली के बारे मे अभियुक्त ने बताया कि इनका इस्तेमाल वह चोरी की घटनाओं मे सरिया/ताला आदि काटने/तोडने मे करता है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

रचित पुत्र अमर सिंह नि0 छजीपुर थाना नुरपुर जनपद बिजनौर ।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त रचित उपरोक्त-

1.मु0अ0सं0 91/24 धारा 380/411/457 भादवि व धारा 4/25 आयुध अधिनियम थाना किरतपुर बिजनौर ।

2.मु0अ0सं0 517/24 धारा 305(क)/317(2) बीएनएस थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर ।

बरामदगी विवरण-

1.चोरी के 4339/- रूपये की नगदी

2.दो मोबाइल फोन (एक वनप्लस कम्पनी व एक सैमसंग कम्पनी)

3. चोरी की गई 03 सिगरेट की डिब्बी

4.एक छैनी व एक बिसौली

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 संदीप कालरा थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

2.उ0नि0 श्री विकास कुमार थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

3.हे0का0 836 सुधीर थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

4.का0 971 सौरभ थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – जनपद बिजनौर **दिनांक – 18.10.2024**

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में बिजनौर पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी से माननीय न्यायालय द्वारा चोरी के आरोपी अभियुक्त को 03 वर्ष के सश्रम कारावास व 10,000 /- रूपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित।

कार्यवाही –

दिनांक 02.09.2017 को थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा अभियुक्त इकरार पुत्र निसार निवासी निवासी मौ0 शाही कॉलोनी कस्बा व थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर को जिला सहकारी बैंक की छत का जाल काटकर चोरी करने का प्रयास करते हुए पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया तो अभियुक्त द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से नियत से फायर किया गया। अभियुक्त के कब्जे से अवैध शस्त्र, बैंक की चाबियों के गुच्छे एवं बैंक में कूमल करने के उपकरण (कटर, आरी, प्लास, पेचकस) आदि अन्य सामान बरामद किया गया। इस सम्बंध में थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0सं0 191/17 धारा 457/380/511/307 भादवि बनाम इकरार आदि कुल 02 नफर पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही पूर्ण होने के उपरांत पुलिस द्वारा आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

इस अभियोग में बिजनौर पुलिस एवं मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त एवं प्रभावी पैरवी की गयी तथा अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 18.10.2024 को मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश नगीना, जनपद बिजनौर द्वारा धारा 457/380/411 भादवि के आरोपी अभियुक्त इकरार पुत्र निसार निवासी मौ0 शाही कॉलोनी कस्बा व थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर को 03 वर्ष के सश्रम कारावास व ₹ 10,000 /- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम व पता –

इकरार पुत्र निसार निवासी मौ0 शाही कॉलोनी कस्बा व थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना स्योहारा **दिनांक 18.10.2024**

थाना स्योहारा पुलिस ने अभियुक्त को अवैध शस्त्र सहित किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही –

थाना स्योहारा पुलिस ने चेकिंग के दौरान अभियुक्त सोमपाल पुत्र शिवचरन सिह नि0 ग्राम सद्दो बेरखा थाना स्योहारा जनपद बिजनौर को एक अवैध तमन्चा 315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर सहित गिरफ्तार किया । बरामदगी के आधार पर थाना स्योहारा पर मु0अ0सं0 511/24 धारा 3/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया । आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

सोमपाल पुत्र शिवचरन सिह नि0 ग्राम सद्दो बेरखा थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ।

बरामदगी विवरण-

एक अवैध तमन्चा 315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.मुख्य आरक्षी कुलदीप कुमार तैनाती यूपी-112 पीआरवी थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ।
2.आरक्षी सन्दीप सिरोही तैनाती यूपी-112 पीआरवी थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ।